

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

कालूलाल पिता उदा गुर्जर निवासी रामा खेड़ा वगैरा
बनाम

कवरा पिता रत्ता जी कालबेलिया निवासी नंगावली वगैरा

प्रकरण संख्या 67/2021 (रा.प्रा.पत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी की तामील शेष है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आज भी विपक्षी की तामील कराने हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक लगभग 02 वर्ष 09 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद भी विपक्षी की तामील हेतु सही पते का नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है। अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	